तत्काल/महत्वपूर्ण

संख्या-48/2015/73भास0(2)/60-1-15/1/13(45)/15

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिट्रार जनरल,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबद।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 28 जुलाई 2015**

विषय- बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन सम्बन्धी मार्गदर्शिका 2015 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-18-06/2014-CW-II, दिनांक 23.09.2015 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें बच्चों के दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के अनुपालन सम्बन्धी मार्गदर्शिका 2015 के निर्माण एवं उसके प्रभावी तिथि के बारे में उल्लेख किया गया है। अवगत कराना है कि उपरोक्त मार्गदर्शिका दिनंाक 01.08.2015 से सम्पूर्ण देश में प्रभावी हो जायेगी। यह मार्गदर्शिका भारत सरकार की वेबसाइट **www.wcd.nic.in** एवं **www.cara.nic.in** तथा महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 की वेब साइट **www.mahilakalyan.up.nic.in** पर भी उपलब्ध है।

2- इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों, पारिवारिक-वाद न्यायालयों एवं सिविल न्यायालयों को सूचित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-48/2015/73भास0(3)/60-1-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 23.07.2015 के सन्दर्भ में।
2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ।
3- उप निदेशक, कारा, महिला एंव बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4- निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in